


38



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला-शिवपुरी
I/किरानी/शिवपुरी/भू-रा/2018/1457

/2018 जिला-शिवपुरी

- 1 दीपक पुत्र श्री नन्दलाल गुप्ता
 - 2 गगन पुत्र श्री नन्दलाल गुप्ता
 - 3 नन्दलाल गुप्ता पुत्र श्री बृजनंदन गुप्ता
 - 4 इस्माईल खा पुत्र अल्लू खां
 - 5 चांद खां पुत्र अल्लू खां
 - 6 अजीज खां पुत्र अल्लू खां
 - 7 कल्लू खां पुत्र अल्लू खां
- निवासी- पुरानी नगर पंचायत के पास वार्ड नं. 4 कस्बा करैरा तहसील करैरा जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

को दीपक पुत्र श्री नन्दलाल गुप्ता
द्वारा आज 27.2.18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 22.3.18 नियत।
किरानी
कल्लू खां कोर्ट 27-2-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरुद्ध

देवीलाल पुत्र श्री शोभा कुशवाह
निवासी - कस्बा करैरा तहसील करैरा जिला
शिवपुरी (म.प्र.)

..... अनावेदक

Shah d.
27/02/18

न्यायालय तहसीलदार तहसील करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 0011/2017-18/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1 यहकि, अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील करैरा के समक्ष आवेदकगण के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता के धारा 250 के तहत कस्बा करैरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1648 रकवा 0.052 पर आवेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 1648 के रकवा 0.02 विस्वा पर ईट गुम्मा रखकर कब्जा करने बावत् प्रस्तुत किया था।
- 2 यहकि, अनावेदक ने जो आवेदन पत्र तहसीलदार करैरा के समक्ष प्रस्तुत किया था उसमें उल्लेख किया है कि वादग्रस्त भूमि का सीमांकन भी पूर्व में किया जाना अभिकथन किया है। किन्तु उसके द्वारा कब्जा हटाया जाने बावत् उनके

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / शिवपुरी / भू.रा. / 2018 / 1457

दीपक आदि विरुद्ध देवीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार तहसील करैरा, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 0011/2017-18/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 12-01-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>